दिनांक- 27.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 446/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 27.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 27.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 447/26

महोबा पुलिस

कानून-व्यवस्था एवं बैंकिंग सुरक्षा के दृष्टिगत महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया बैंक चेकिंग अभियान...।

- आज दिनांक 27.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन में, रविवार की साप्ताहिक अवकाश के उपरांत सोमवार को बैंक खुलते ही जनपद महोबा में बैंक चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान बैंकिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से संचालित किया गया।
- अभियान के दौरान महोबा पुलिस द्वारा बैंकों के अंदर एवं बाहर संदिग्ध व्यक्तियों, बैंक में आने-जाने वाले ग्राहकों तथा वाहनों की सघन जांच की गई। साथ ही बैंक परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, सुरक्षा गार्डों की तैनाती एवं अन्य सुरक्षा प्रबंधों का भी निरीक्षण किया गया।
- पुलिस अधिकारियों द्वारा बैंक प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए गए।
- इसी क्रम में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में बैंक चेकिंग की गई, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच की गई तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सुरक्षा एवं सतर्कता के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इसके साथ ही आमजन को साइबर ठगी से बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देकर जागरूक किया गया।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग लेन-देन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। महोबा पुलिस द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

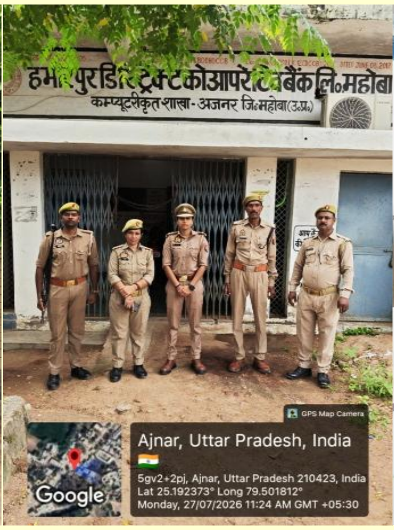

दिनांक- 27.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 448/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारोपी पति को मय आलाकत्ल (हँसिया) के साथ किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल।

जनपद महोबा के थाना पनवाड़ी क्षेत्रांतर्गत ग्राम बिजरारी में दिनांक 25/26.07.2026 की रात्रि में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर जनपदीय पुलिस के उच्चधिकारीगण द्वारा तत्काल स्थानीय पुलिस एवं फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। प्राथमिक जांच में मृतका के शरीर पर चोट के निशान पाए गए।

प्रकरण में मृतका के वादी (भाई) रवि उर्फ रफीक मंसूरी पुत्र निवासी ग्राम चिकासी जनपद हमीरपुर की तहरीर के आधार पर थाना पनवाड़ी पर मु0अ0सं0 114/2026 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 डी.पी. एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह के पर्यवेक्षण पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आज दिनांक 27.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त हनीफ मुहम्मद उर्फ हनीफ मंसूरी पुत्र सुलेमान खां निवासी ग्राम बिजरारी थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने घरेलू विवाद के दौरान गुस्से में आकर हँसिया से अपनी पत्नी पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी।

अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल हँसिया तथा घटना के समय पहने हुए खून से सने कपड़े बरामद किए गए, जिन्हें विधिवत सील कर कब्जे पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी के उपरांत नियमानुसार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी उपरांत जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.व0उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा
2.उ0नि0 ओम प्रकाश मिश्र
3.का0 राम मिलन सिंह
4.का0 सचिन विश्वकर्मा
5.रि0 का0 रामआशीष

गिरफ्तार अभियुक्त-

हनीफ मुहम्मद उर्फ हनीफ मंसूरी पुत्र सुलेमान खां
निवासी ग्राम बिजरारी थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

दिनांक- 27.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 449/26

महोबा पुलिस

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा कांवड़ यात्रा रूट का स्थलीय निरीक्षण, सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को लेकर दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में सावन माह के दौरान कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु जनपद पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा एवं व्यवस्थात्मक तैयारियां की जा रही हैं।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह एवं अपर जिलाधिकारी श्री कुंवर पंकज द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित कांवड़ यात्रा के निर्धारित रूट का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख स्थानों, चौराहों एवं संवेदनशील स्थलों का गहनता से निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाना राठ क्षेत्र से प्रस्तावित दो प्रमुख कांवड़ यात्राओं के मार्ग का भी अवलोकन किया गया। प्रथम यात्रा दिनांक 02.08.2026 को करसड़ा राठ से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से जनपद चित्रकूट के लिए प्रस्थान करेगी तथा दिनांक 03.08.2026 को श्रद्धालु चित्रकूट के रामघाट से जल लेकर अतर्रा, बाँदा, मटौंध, कबरई, चौकी रिवई, खरेला एवं मुस्करा होते हुए करसड़ा राठ स्थित चौपड़ा देवी मंदिर पहुंचेंगे, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। वहीं द्वितीय यात्रा दिनांक 09.08.2026 को करसड़ा राठ से चित्रकूट के लिए रवाना होगी तथा दिनांक 10.08.2026 को श्रद्धालु चित्रकूट के रामघाट से जल लेकर अतर्रा, बाँदा, मटौंध, कबरई, कोतवाली नगर एवं सूपा होते हुए चरखारी से करसड़ा राठ स्थित चौपड़ा देवी मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। अधिकारियों द्वारा संबंधित पुलिस अधिकारियों को दोनों यात्राओं के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन तथा आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा यात्रा मार्ग पर बैरिकेडिंग, यातायात डायवर्जन, पार्किंग स्थलों की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं साफ-सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

सुरक्षा की दृष्टि से कांवड़ यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी, ड्रोन से सतत मॉनिटरिंग तथा निरंतर पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

अपर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थल, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जाएं, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो।

जनपद पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई है कि कांवड़ यात्रा के दौरान निर्धारित रूट एवं यातायात नियमों का पालन करें तथा पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें, जिससे यह धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण में सम्पन्न हो सके।

दिनांक- 27.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 450/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी - थाना खरेला

थाना खरेला पुलिस टीम की बड़ी सफलताः

गैंगस्टर एक्ट में वांछित ₹25,000 का इनामियां अभियुक्त गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने तथा आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त इनामिया/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना खरेला पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

उक्त अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री नन्हेलाल यादव द्वारा लगभग 04 माह पूर्व ग्राम चन्दौली में घटित हत्याकांड में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए थाना खरेला पर मु0अ0सं0 54/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में अभियुक्त उमेश रैकवार पुत्र अवधेश रैकवार निवासी कोनिया, थाना पनवाड़ी, जनपद महोबा वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा ₹25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 27.07.2026 को प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला मय हमराह पुलिस बल द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त उमेश रैकवार को थाना क्षेत्र के ग्राम चन्दौली स्थित पांच पाटा मंदिर के पास बल्लाय तिराहा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

उमेश रैकवार पुत्र अवधेश रैकवार उम्र लगभग 22 वर्ष निवासी कोनिया, थाना पनवाड़ी, जनपद महोबा

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—

- मु0अ0सं0 22/2026 धारा 103(1)/3(5)/191(2)/191(3)/190/118(1)/352/109 बीएनएस, 7 CLA व 3/25 आर्म्स एक्ट
- मु0अ0सं0 428/2025 धारा 288/352/351(2)/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली
- मु0अ0सं0 54/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना खरेला जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1.SHO खरेला श्री नन्हेलाल यादव
2.उ0नि0 शिवदान सिंह
3.हे0कां0 प्रदीप कुमार
4.कां0 विशाल जायसवाल